न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) /न्यायिक मजिस्ट्रेट मोंठ, झांसी।
जमानत प्र0 पत्र सं0 –363/2022
जे0ओ0कोड–यू0पी0 3508
उपस्थितः– अविरल उमराव (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

शिवनारायण **बनाम** **उ.प्र.राज्य।**

अ0 संख्या–122/2002
धारा– 39,40,49बी, वि0 अधि0
थाना – मोंठ
जिला – झांसी।

दिनांकः 13.10.2022

अभियुक्त **शिवनारायण** की ओर से **अ0 संख्या 122/2022,** अन्तर्गत धारा **39,40,49बी, वि0 अधि0 थाना मोंठ**, जिला झांसी में **द्वितीय** जमानत प्रार्थना , जिला झांसी में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अभियुक्त अपराध संख्या 98/2021 धारा 304,427,323,504 भा0दं0सं0 के अपराध में जिला कारागार में बंद था, जिस कारण न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका, इसलिये न्यायलाय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र जारी कर दिया गया था। अभियुक्त भविष्य में नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहने को तैयार है। अभियुक्त सक्षम जमानत मुचलका प्रस्तुत करने को तैयार है। जमानत मुचलके पर रिहा करने की याचना की है।

अभियुक्त गैर जमानतीय अधिपत्र पर गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का प्रबल विरोध किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

उभय पक्ष के तर्को व उपलब्ध प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया था। अभियुक्त गैर जमानतीय अधिपत्र पर गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि न्यायालय द्वारा जब गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था तब अभियुक्त अन्य अपराध में जिला कारागार झांसी में निरूद्ध था, जिसके बाद उसे नियत तिथि की जानकारी न होने के कारण न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका था। अभियुक्त न्यायालय में सक्षम जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है तथा प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित रहने को तैयार है। ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **शिवनारायण** की ओर से **अ0 संख्या 122/2022,** अन्तर्गत धारा **39,40,49बी, वि0 अधि0 थाना मोंठ**, जिला झांसी**,** जिला झांसी में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त मामले में मुबलिग 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो सक्षम जमानतें दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अविरल उमराव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोंठ, झांसी